न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/315/2016

उनवान

1. रामगोपाल पुत्र बालमुकुन्द ब्राह्मण निवासी सूठेपा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. नगर विकास न्यास, भीलवाडा जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 35/74 निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.2.1988

अधिवक्तागण :–

1.श्री ललित स्वर्णकार ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गणेश लाल जोशी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उप जिलाधीश, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 35/सन् 74

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 20.2.1988 की आदेशिका अनुसार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, द्वारा अपने पत्र संख्या रीडर/85/219 दिनांक 7.2.85 से जिला कलक्टर, भीलवाडा को निवेदन किया कि जो भूमि प्रार्थी रामगोपाल को निलाम की वह पट्टी मार्केट में योजना में आ चुकी है। प्रार्थी द्वारा 3/4 राशि नियत समय में जमा नहीं कराई गई। जिससे अब निलामी की भर्ती की पालना प्रार्थी द्वारा नहीं करने से निलामी निरस्त कराई जावे। जिस पर जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा निर्देशित किया गया कि " निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराई है अतः अब कोई कार्यवाही नही की जा सकती ।" उक्त निर्देश के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर पत्रावली को दाखिल दफतर किये जाने का अंकन किया गया ।

2. जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा अपीलार्थी की अपील मंजूर कर प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर अपीलार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि के बारे में स्पष्टीकरण चाहा गया, अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किये गये व अपीलार्थी मौके पर काबिज चला आ रहा है , इस कारण से अपीलार्थी द्वारा निलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करा लेने के कारण व अपील मंजूर होने से अपीलार्थी द्वारा अपनी निलामी यथावत रखी जाने के विश्वास में रह गया । हाल हीमें दिनांक 20.10. 2016 को नगर विकास न्यास, भीलवाडा के

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कर्मचारी/अधिकारी मौके पर आकर अपीलार्थी को बेदखल करने की धमकी दी व निलामी निरस्त होने की जानकारी दी। जिस पर अपीलार्थी ने मामले की जानकारी हेतु नकल आवेदन दिनांक 25.10.2016 को पेश की व नकल दिनांक 2.12.2016 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को निलामी राशि की शेष 3/4 राशि जमा कराने हेतु जो एस0 डी0 ओ0 साहब कार्यालय भीलवाडा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक निलामी 35/74/84 दिनांक 7.8.84 को जारी हुआ जो अपीलार्थी को दिनांक 11.8.1984 को मिला , जिससे अपीलार्थी ने अविलम्ब दिनांक 17.8.1984 को शेष निलामी की 3/4 1470/—रूपये जरिये बैंक ड्राफ्ट टी टी के 884712 एस बी बी जे शाखा भीलवाडा के द्वारा तहसीलदार, भीलवाडा के यहॉ जरिये डाक भिजवा दिया । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलार्थी को सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत तौर पर निलामी कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर कैम्प भीलवाडा में उक्त निर्णय/आदेश के विरूद्ध एक अपील संख्या 445/1986 एल आर भीलवाडा में पेश की । न्यायालय ने दिनांक 9.2.1988 को निर्णय कर अपील मंजूर की । एवं उभयपक्षों को सुनकर केस पुनः कार्यवाही हेतु

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रिमाण्ड किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.2.1988 को बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना विधिसम्मत प्रकिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने उक्त आवंटन से ही काबिज होकर मौके पर 10 बाई 15 फिट का कमरा बना रखा है एवं उक्त आराजियात पर कुआ भी खोद रखा है, नायब तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट दिनांक 14.11.1986 से भी साबित होता है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त साबिक आराजी नम्बर 2319/3/2321/6 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 3170 मी. रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 3171 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 3172 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 3173 रकबा 16 बिस्वा, कुल रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा भूमि बनना वर्तमान जमाबंदी में नायब तहसीलदार, भीलवाडा की रिपोर्ट दिनांक 14.11.1986 में अंकन किया हुआ है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा अपीलार्थी कीअपील मंजूर कर प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर अपीलार्थी द्वारा जमा करायी गई राशि के बारे में स्पष्टीकरण चाहा गया, अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किये गये व अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधीनस्थ

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जारने का निवेदन किया ।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण बताया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. वादग्रस्त प्लाट संख्या 84 खसरा नम्बर 2319/3, 2321/6 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा की निलामी की गई। निलामी राशि में से 1/4 राशि अपीलार्थी द्वारा जमा करा दी गई थी। शेष राशि 3/4 राशि 7 दिवस में जमा कराने एवं जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में निलामी निरस्त किये जाने की शर्त के साथ सूचना पत्र कार्यालय सब डिविजनल ऑफिसर भीलवाडा के पत्रांक निलामी 35/74/84 दिनरांक 7.8.84 को जारी किया गया । उक्त बकाया राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई गई। इसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा बैक ड्राफ्ट दिनांक 17.8.84 को बनवाया गया । परन्तु नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने के कारण 21.1.85 के आदेश से बेदखल किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर कैम्प भीलवाडा में प्रस्तुत की गई। जहाँ से प्रकरण में जांच कर कि मांग पत्र अपीलार्थी को कब जारी किया गया एवं शेष राशि कब जमा कराई गई। इसकी जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण पर विचारण किया गया । अपीलाधीन प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पट्टी

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

मार्केट योजना में आ चुकी थी। नियत शर्तो की पालना में अपीलार्थी द्वारा नियत अवधि में निलामी की शेष राशि जमा नहीं कराने से प्रकरण को जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया । जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा अपने आदेश संख्या एफ12.–12(3)आरए 85/दिनांक 19.2.85 से निर्देश दिये गये कि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराई गई है अतः अब कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायाल/कार्यालय द्वारा उक्त निर्देश की पालना में अपीलाधीन निर्णय किया गया है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.2.88 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा